कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/लीगल सेल/न्या.प्र./ 2020/ 58 भोपाल, दिनांक 06-01-2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू-अभिलेख)

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार)

समस्त क्षेत्र संचालक

मध्य प्रदेश

विषयः- न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र कमांक/ उत्पा/लीगल सेल/न्या.प्र./2019/655 दिनांक 1.4.2019

-0-

दिनांक 18.12.2020 को संपन्न वीडियो कांफ्रेंस में न्यायालयीन प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए तथा शासन स्तर पर हुई चर्चा अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में नीतिगत मुद्दों के प्रकरणों में वनमण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने तथा अन्य प्रकरणों में सहायक वन संरक्षक/ उप वनमण्डलाधिकारी स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने पर सहमति हुई है। अतः विभिन्न स्तर के न्यायालयीन प्रकरणों में नीचे दर्शायी गयी तालिका अनुसार प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किये जाते हैं:-

कमांक	माननीय न्यायालय	प्रभारी अधिकारी
1.	अ. श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण	वन क्षेत्रपाल
	ब. आपराधिक प्रकरणों में जिला स्तर एवं उच्च न्यायालय से संबंधित वे प्रकरण जिनमें न्यायालय में चालान वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।	वन क्षेत्रपाल
	अ. जिला स्तर के न्यायालयों से संबंधित प्रकरण ब. वाहन राजसात एवं अन्य आपराधिक प्रकरण जिसमें उप वनमण्डल स्तर पर कार्यवाही की गयी है। स. मा. उच्च न्यायालय में दायर ऐसे प्रकरण जिसमें नीतिगत मुद्दे शामिल नहीं हो	सहायक वन संरक्षक/ उप वनमण्डल अधिकारी

Office of C.C.F. Ex. Off. Conservator of Forests Shahdol Circle (M.P.) No. 61 Date 07/01/21

शाखा
दिनांक
मु.व.सं.

क्रमांक	माननीय न्यायालय	प्रभारी अधिकारी
3.	उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरण टाईगर स्ट्राईक फोर्स से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में	सहायक वन संरक्षक/प्रभारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स
4.	उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरण, जिसमें नीतिगत मुद्दे शामिल हों	वन मण्डलाधिकारी/वन संरक्षक (वनमण्डल के प्रभार में)
5.	उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रकरण टाईगर स्ट्राईक फोर्स से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में	प्रभारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स
6.	उच्चतम न्यायालय से संबंधित अन्य प्रकरण	मुख्य वन संरक्षक / वन मण्डलाधिकारी

उपरोक्त तालिका के कमांक 1 एवं 2 के प्रकरणों में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी जवाबदावों में संबंधित वनमण्डलाधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य है। अनुकमांक 4 के प्रकरणों में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी जवाबदावों में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक का अनुमोदन अनिवार्य है। अनुकमांक 6 के प्रकरणों में जवाबदावा वन मुख्यालय की संबंधित शाखा से परीक्षण करवा कर ही प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे प्रकरण जो शासन की नीति से संबंधित है, उनमें भी वन मुख्यालय की संबंधित शाखा से जवाबदावा के परीक्षण एवं म.प्र.शासन वन विभाग के अनुमोदन के उपरांत ही संबंधित न्यायालयों में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाएगा।

6/1/2021

(राजेश श्रीवास्तव),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ0कमांक/वनिस/लीगल सेल/न्या.प्र./ 2020/ 59 — भोपाल, दिनांक 06-01-2021

प्रतिलिपि:—

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, वनोपज अंतर्विभागीय समिति, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
मध्य प्रदेश भोपाल

कार्यालय वन वृत्त शहडोल (म.प्र.)
पृ० क्रमांक/स्था०/496 दि० 15/01/2021
प्रतिलिपि :- (1) वन संरक्षक कार्य आयोजना शहडोल।
(2) उप संचालक बांधवगढ़ उमरिया।
(3) समस्त व.म.अ. (क्षे.) वन वृत्त शहडोल
(4) संचालक व.वि. अमरकंटक
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कृपया निर्देशानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शासकीय पक्ष उचित रूप से प्रस्तुत करें

C.F.
E/O C.F. Shahdol (M.P.)